लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

66

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2020 को अपराहन् 1:30 बजे प्रशासनिक भवन कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	श्री आलोक कुमार राय	कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री श्रवण कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	श्री मदन राजा मौर्य	संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक कोषागार प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	डा0 विनोद कुमार सिंह,	कुलसचिव	सदस्य
5.	ले. कर्नल डा0 ए. के. मिश्र	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
6.	श्री संजय श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की बैठक दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 की कार्यवृत्त एवं अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

(क) लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया वित्तीय वर्ष 2020–21 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आय–व्ययक वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की। साथ ही आय के सापेक्ष व्ययाधिक्य होने से सम्बन्धित सुसंगत प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने पर भी सहमति व्यक्त की।

(ख) लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कला एवं शिल्प महाविद्यालय द्वारा तैयार किया गया वित्तीय वर्ष 2020–21 का राजस्व/पूँजीगत/स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के आय–व्ययक वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–03

प्रो0 पूनम टण्डन, अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा प्रेषित लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 23.12.2019 को सम्पन्न हुई हास्टल मैनेजमेण्ट कमेटी की बैठक के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुनर्परीक्षण हेतु वापस लिया गया। समिति ने सहमति दी कि यदि इस प्रस्ताव में कोई ऐसा बिन्दु है जिस पर समिति से मार्गदर्शन अथवा निर्देश की अपेक्षा होगी, जो आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

बिन्दु संख्या–04

डा0 ज्योत्सना सिंह, असि0 प्रोफेसर भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा 64th DAE-BRNS Symposium on Nuclear Physics December 23-27, 2019 के के सापेक्ष शैक्षणिक भ्रमण/सेमीनार मद से होने वाले प्रस्तावित व्ययों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पुनर्परीक्षण हेतु वापस लिया गया। समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–05

प्रो0 नवीन खरे, रसायन विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसमें उन्होंने विभाग में संचालित सी.ए. खाता संख्या 0060020000040 (यूको बैंक) का संचालन बन्द करने एवं उसमें उपलब्ध धनराशि को (यूको बैंक) में चल रहे बचत खाता संख्या 00600100028508 में जमा कर उसके संचालन हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–06

प्रो0 पूनम टण्डन, अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसमें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न महिला छात्रावासों में छात्राओं की देख–रेख हेतु विश्वविद्यालय चिकित्सालय में एक महिला चिकित्सक रखे जाने एवं छात्रावासों के बाहर 20 सोलर लाईट

लगवाए जाने के साथ–साथ Poor Student Aid Fund का नाम बदल कर Student Welfare Fund रखे जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, समिति ने निम्नानुसार सहमति व्यक्त की गयी–

1. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में संचालित डिस्पेंसरी में कार्यरत डाक्टरों के सापेक्ष रिक्त चल रहे पद पर महिला चिकित्सक को नियुक्त किये जाने हेतु नियमान्तर्गत कार्यवाही किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
2. Poor Student Aid Fund का नाम बदल कर Student Welfare Fund रखे जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर वित्त समिति ने द्वारा गाईड–लाईन बनाकर अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।

बिन्दु संख्या–07

लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित पत्रों जिसमें खातों के संचालन/नया खाता खोलने एवं यूको बैंक में फ्रीज किये गये खातों के परिचालन हेतु निम्नानुसार प्राप्त पत्रों पर विचार विमर्श किया जानाः–

कम सं0	विभागाध्यक्ष/विभाग का नाम	नया खाता खोलने हेतु।	पूर्व में खुले खातों के पुनः परिचालन हेतु।
1	डा0 संजय मेधावी, व्यापार प्रशासन विभाग	–	00600100196070
2	डा0 संजीव गौतम, कला एवं शिल्प महाविद्यालय	–	00600210000021
3	डा0 दिनेश कुमार, प्राक्टर, ल.वि.वि.।	–	00600110239636
4	डा0 अरूण कुमार, शिक्षाशास्त्र विभाग।	Dr. Arun Kumar Course director ICSSR Workshop के नाम से एस.बी.आई. में खाता खोलने।	–
5	प्रो0 मनोज कुमार अग्रवाल, प्रबन्धन विज्ञान संस्थान।	–	187302000000183
6	श्रीमती गीता सक्सेना, अधीक्षक कैश।	–	00600210000410
7.	डा0 नन्दलाल भारती, लोक प्रशासन विभाग।	–	00600100026063
8	प्रो0 एस. के. शुक्ला, वाणिज्य संकाय।	–	00600200000029
9	प्रवोस्ट, हब्बीबुल्लाह छात्रावास	–	00600100009048
10	डा0 संजय मेधावी डायरेक्टर आई.पी.पी.आर.		00600100034031
11	अधिष्ठाता विज्ञान संकाय	–	00600200000030
12	डा0 रानू उनियाल, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग।	–	00600100002858
13	प्रवोस्ट, नरेन्द्र देव छात्रावास	–	00600100019044
14	प्रवोस्ट, गोल्डेन जुबली छात्रावास	–	00600100026664
15	प्रवोस्ट, बीरबल छात्रावास	–	00600100009117
16	प्रो0 अमिता बाजपेयी, विभागाध्यक्ष, शिक्षा शास्त्र।	–	00600100030351
17	प्रो0 अनिल मिश्रा, रसायन शास्त्र विभाग	उपभोक्ता विवाद प्रतितोष परीक्षा फण्ड से सम्बन्धित एस.बी.आई. में खाता खोलने के सम्बन्ध में।	A/C No. 39113027541
18	केन्द्रीय लेखा कार्यालय।	डी.एस.टी. पर्स के नाम से एस.बी.आई. में एक नया खाता खोलने के सम्बन्ध में।	–
19	केन्द्रीय लेखा कार्यालय।	यूको बैंक विश्वविद्यालय शाखा में भवन किराया व ऋण किराया के नाम से एक खाता खाले जाने से सम्बन्धित।	–

वित्त समिति द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी और आगे के लिए यह भी निर्देश दिये गये कि जो खाते विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा कतिपय कारणों से फ्रीज किये गये हैं उनके पुनः संचालन की अनुमति उन्हीं के स्तर से किये जाए। समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि आगे से विश्वविद्यालयी कार्य हेतु नये खोले जाने वाले खाते स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में ही खोले जाए।

बिन्दु संख्या–08

विश्वविद्यालयों के कार्यो के सुगम संचालन हेतु वेतन से भिन्न मदों में कुलपति के वित्तीय अधिकारों को निम्नलिखित सीमा तक नियमानुसार प्रतिनिधायन का प्रस्ताव माननीय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गयाः–

(अ)	लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्षों/संकायाध्यक्षों तथा विभिन्न कार्यालयो के कार्यों हेतु आवंटित बजट तथा विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं हेतु यू.जी.सी., डी.एस.टी., आई.सी.आई..आर. तथा अन्य फंडिंग एजेन्सियों में प्राप्त होने वाली धनराशि के अन्तर्गत समस्त परियोजनाओं में रू0 50,000/– तक की धनराशि की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के अधिकारों का प्रतिनिधायन।	कुलसचिव	रू0 50,000/– तक
(ब)	परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रकृति के कार्यों/व्ययों की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के अधिकार का प्रतिनिधायन।	परीक्षा नियंत्रक	रू0 50,000/– तक
(स)	उक्त (अ) एवं (ब) से भिन्न प्रकृति के व्ययों की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति/भुगतान के अधिकार का प्रतिनिधायन। (रू0 10,000/– तक का प्रतिनिधायन लेखाधिकारी/उप–कुलसचिव (लेखा) को पूर्व से ही प्राप्त है।	वित्त अधिकारी	रू0 10,001/– से रू0 50,000/– तक

वेतन मदों में भुगतान हेतु पूर्व में किया गया प्रतिनिधायन प्रभावी रहेगा।

उक्त से सम्बन्धित प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

68

बिन्दु संख्या–09

कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को वर्तमान में रू0 50,000/– तक के कार्य कराए जाने सम्बन्धी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का प्रतिनिधायन है, जिसकी सीमा को बढ़ाकर रू0 1,00,000/– किये जाने तथा सम्पूर्ण वर्ष की अधिकतम वर्तमान सीमा जो एक वर्ष में रू0 50.00 लाख है, को बढ़ाकर रू0 100.00 लाख किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी। साथ यह यह भी निर्देश दिये गये कि यह व्यवस्था 01 अप्रैल, 2020 से लागू माना जाएगा।

बिन्दु संख्या–10

कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए यह सुझाव दिया गया कि नगर निगम से सम्पर्क कर उनके मॉडल पर इस कार्य को कराए जाने पर विचार किया जाए।

बिन्दु संख्या–11

कुलानुशासक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा उक्त कार्य को कराए जाने पर आने वाले खर्च रू0 05.00 लाख तक कार्य कराए जाने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–12

कुलसचिव कार्यलय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कि डा0 मुकुल चन्द्रा चिकित्साधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पुनरीक्षित दरों से नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव जो समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसे पुनर्परीक्षण हेतु वापस किया गया।

बिन्दु संख्या–13

समिति के समक्ष धनराशि हस्तांतरण से सम्बन्धित निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिस पर समिति द्वारा संज्ञानित होकर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयीः–

(1) माह जनवरी, पेड इन फरवरी, 2020 के वेतन वितरण हेतु जे.ई.ई.बी.एड. 2018–20 खांता संख्या 56810100001155 बैंक ऑफ बडौदा, निराला नगर, लखनऊ से लखनऊ विश्वविद्यालय आय खाता संख्या 38831840091 में रू0 14.00 करोड़ तथा विश्वविद्यालय आय खाता संख्या 38831840091 से रू0 25–25 जाख की धनराशि इण्डियन ओवरसीज बैंक में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम खाता संख्या 1700 एवं प्रबन्ध विज्ञान संस्थाना खाता संख्या 499 में हस्तांतरित की गयी।

(2) एच.डी.एफ.सी. बैंक में एल.यू. एडमीशन 2019–20 के नाम से संचालित खाता संख्या 50100148826160 से रू0 2,71,92,000/– मात्र की धनराशि एल.यू. फीस एकाउण्ट में बी.एल.एड.एवं एम.एल.एड. महाविद्यालयों को उनकी शुल्क वापसी हेतु हस्तांतरित की गयी।

बिन्दु संख्या–14

लखनऊ विश्वविद्यालयों के वित्तीय कार्यों के सुदृढ़ प्रभावी एवं जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा सेल के गठन, जिसमें वरिष्ठ लेखा परीक्षक (2), सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (1), लेखा परीक्षक (2) एवं आडिट सहायक (2) रखे जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव विचार–विमर्श हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा विचार–विमर्श के उपरान्त वरिष्ठ लेखा परीक्षक का एक पद (01), सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का एक पद (01), लेखा परीक्षक का एक पद (01) एवं आडिट सहायक का एक पद (01) सृजित करने तथा प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्तानुसार व्यवस्था होने तक के लिए किसी वित्त एवं लेखा से सम्बन्धित सेवानिवृत्त अधिकारी/प्रतिष्ठित सनदी लेखाकार को संविदा पर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–15

डा0 मुकुल श्रीवास्तव, मॉस कम्यूनिकेशन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रस्ताव रू0 10.00 लाख के बजट प्राविधान से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा शताब्दी वर्ष में आयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 2020 तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रू0 20.00 लाख के बजट प्राविधान से ही उक्त व्यय किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–16

सेल्फ फाईनेंस कोर्सेज के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 214/70–4–2000–7(7)/94 दिनांक 04 फरवरी, 2000 में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्य–परिषद के अनुमोदन के अनुरूप सेल्फ फाईनेंस कोर्सेज से प्राप्त आय का 60 प्रतिशत टीचिंग एवं नॉन–टीचिंग के वेतन मदों पर व्यय किया जा रहा है। यह पाया जा रहा है कि कतिपय सेल्फ फाईनेंस कोर्सेज से प्राप्त आय का 60 प्रतिशत वेतन के लिए अपर्याप्त हो रहा है। समिति ने संगत शासनादेशों पर विचार कर यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों का एक पूल खाता बनाकर उससे शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान दिया जाए।

बिन्दु संख्या–17

प्रोजेक्ट कार्यक्रमों से सम्बन्धित पी.आई. को प्रत्येक मामले स्वयं के स्तर पर रू0 20,000/– तक के व्ययों को स्वीकृत करने हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति सम्बन्धी अधिकारों का प्रतिनिधायन से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी। साथ ही समिति द्वारा यह निर्देश भी दिया गया कि पी.आई. प्रोजेक्ट के व्ययों का लेखा परीक्षा कराकर प्रस्तुत करेंगे, जिसका व्यय–भार प्रोजेक्ट की धनराशि से ही वहन किया जाएगा।

बिन्दु संख्या–18

विश्वविद्यालय के समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम से अनुबन्ध किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा शासन द्वारा स्वीकृत टेण्डर प्रकिया के तहत सुसंगत प्रस्ताव वित्त समिति की अगली बैठक में रखे जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–19

प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाली धनराशि में से 05 प्रतिशत की धनराशि एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के रूप में विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–20

परीक्षा नियंत्रक के द्वारा प्रस्तुत प्रोविजनल डिग्री/माईग्रेशन प्रमाण–पत्र/सत्यापन/ट्रांसस्क्रिप्ट को डाकतार विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों के आवासीय पते पर प्रेषण के सम्बन्ध में डाकतार विभाग द्वारा दिये गये प्रस्ताव/दरों पर विचार–विमर्श किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–21

लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में विभागीय पोस्ट आफिस हेतु किरायामुक्त भवन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रवर डाक अधीक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा किराए आदि से सम्बन्धित सुसंगत प्रस्ताव तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु

बिन्दु संख्या–01

लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैश–लेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की दिनांक 17.02.2020 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णयों को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर वित्त समिति के मा0 सदस्यों ने इस योजना पर होने वाले व्यय का विवरण एवं मद निर्धारित करते हुए सुसंगत विस्तृत प्रस्ताव अगली वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसमें एल.यू. मेस खाता संख्या 37193716053 जोकि स्टेट बैंक, विश्वविद्यालय शाखा में संचालित है, जो वर्तमान में अधिष्ठाता छात्र कल्याण एवं मुख्य अभिरक्षक प्रो0 मनुका खन्ना द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है के अनुमोदनार्थ वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

70

बिन्दु संख्या–03

कुलसचिव कार्यालय के पर्सनल स्टाफ को तत्कालीन कुलसचिव श्री एस. के. शुक्ल द्वारा 16 कर्मचारियों के सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 39,000/– जोकि मानदेय स्वरूप प्रदान किया गया था, से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा असहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–04

कुलानुशासक कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिनांक 08 फरवरी, 2020 को अपराहन् 1:00 बजे सम्पन्न हुई बैठक में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किये जाने हेतु वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–05

केन्द्रीय लेखा कार्यालय में डबल इन्ट्री लेखा, बैंक समाधान विवरण तथा वार्षिक लेखा रिपोर्ट तैयार करने हेतु किसी सनदी लेखाकार की नियुक्ति किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा आवश्यकता पर सहमति व्यक्त करते हुए टेण्डर के माध्यम से उक्त कार्य कराए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–06

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को राज्य स्तरीय बी.एड. प्रवेश परीक्षा सत्र 2020–22 से सम्बन्धित प्रवेश/परीक्षा कार्य किये जाने हेतु नामित किया जाता है। इस हेतु प्रवेश फार्म के आन–लाईन विक्रय तथा छात्रों से लिए जाने वाले प्रवेश एवं काउन्सिलिंग शुल्क के लिए दो पृथक–पृथक खाते खोले जाने तथा संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. 2020 का आय–व्ययक अनुमोदन होने तक रू0 50.00 लाख संयुक्त प्रवेश परीक्षा .बी.एड. 2020 के प्रवेश खाते से किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–07

लखनऊ विश्वविद्यालय के सामान्य निधि खाता, जिसमें शासन से प्राप्त होने वाले बजट आवंटन की धनराशि तथा अन्य बचतों की धनराशि जमा होती है से लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन वितरण किया जाता है। वर्तमान में उक्त खाते में फरवरी पेड इन मार्च, 2020 के वेतन हेतु धनराशि अपर्याप्त है। अतः रू0 15.00 करोड़ की धनराशि बी.एड. 2018–20 की बचतों से सामान्य निधि खाते में स्थानांतरण किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–08

शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में "CROWD FUNDING" के नाम से एक बचत खाता खोले जाने से सम्बन्धित समन्वयक, शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इसकी नियमावली वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव द्वारा तैयार करायी जाए तथा इसमें प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास एवं उत्थान के कार्यो हेतु किया जाएगा।

बिन्दु संख्या–09

1. प्रो0 नवीन कुमार खरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जोकि विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम् छात्र/छात्राओं की संख्या 60 प्रतिशत की सीमा को घटाकर 40 प्रतिशत किये जाने से सम्बन्धित प्रकरण वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर वित्त समिति के मा0 सदस्यों से सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की, और इसे अगले शैक्षणिक सत्र 2020–21 से लागू किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी। यदि किसी स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम मे लगातार तीन वर्षो तक प्रवेश 40 प्रतिशत से कम होता है ता उस पाठ्यक्रम की वित्तीय उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए उस पाठ्यक्रम के चालू रखने अथवा बन्द किये जाने पर कुलपति विचार कर लिर्णय लेंगे।

71

2. स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमो में नियुक्त समन्वयक/उप–समन्वयक को मानदेय दिये जाने से सम्बन्धित निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः–

Sl. No.	Particulars	Payment	Remarks
1.	Coordinator	Rs. 2000/- Per Month	(Fixed)
2.	Deputy Coordinator	Rs. 1000/- Per Month	(Fixed)
3.	Contracual Faculty	Rs. 35000/- Per Month	(Fixed)
4.	Visiting/Adjunct /Guest/Subject Expert / Guest Faculty (PG)	Rs. 800/- Per Period	Upto Rs. 15000/- per month (Maximum)
5.	Visiting/Adjunct / Guest / Subject Expert/Guest Faculty (UG)	Rs. 600/- Per Period	Upto Rs. 12000/- per month (Maximum)

वित्त समिति द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में सामान्य एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में विभिन्न मदों में ली जाने वाली शुल्क में विसंगति को दूर करने हेतु प्रो0 नवीन खरे की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के साथ प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर वित्त समिति ने सहमति प्रदान की ताकि पायी गयी भिन्नताओं को दूर किया जा सके, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

Sl. No.	Head	MBA (Regular) (Per Semester)		MBA (SFC's) (Per Semester)	
		Existing	Proposed	Existing	Proposed
1.	Admission fee	5000	5000	300	5000
2.	Games Fee	100	100	100	100
3.	Library Fee	600	600	300	600
4.	Tuition Fee	11113	11113	50000	39970
5.	Municipal Fee	100	100	100	100
6.	Delegacy Fee	60	60	30	60
7	Poor Student Fund Fee	100	100	100	100
8.	Examination Fee	5000	5000	5000	5000
9.	Development Fee	30000	30000	25000	30000
10	Cultural Activites Fee	50	50	100	100
11.	Identy Card Fee	50	50	50	50
	Total Rs.	**52173**	**52173**	**81080**	**81080**
12	Govt. aid in Tution Fee	4000	4000		
13	Paid by Student + Additional Fee if any	**48173**	**48173**		

मा0 अध्यक्ष महोदय धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(मदन राजा मौर्य)
संयुक्त निदेशक/अपर निदेशक कोषागार,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

(ले. कर्नल डा0 ए. के. मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक

(डा0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

(संजय श्रीवास्तव)
वित्त अधिकारी

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति